9-6-17

पत्रावली कोर्ट हेतु न्याय आप के द्वारा
हेतु पत्रावली में दिनांक 9-6-2017 को
प्रस्तुत हुई। निर्णय व डिक्री अलग से
लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया।
पत्रावली फैसला शुमार होकर
दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार – 2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा, केम्प कोर्ट – पालड़ी

पीठासीन अधिकारी– राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 95/2014

1. श्री प्यारा आत्मज श्री रतना उर्फ रतन लाल तेली निवासी तेलीखेड़ा तह. एव जिला भीलवाड़ा।

–वादी

बनाम

1. श्री हेमा आत्मज श्री भूरा तेली निवासी तेलीखेड़ा तह. एव जिला भीलवाड़ा ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

––प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित – 1. श्री पृथ्वीराज चौधरी – अंधिवक्ता वादी

2. श्री हेमा आत्मज भुरा प्रतिवादी स्वंय

निर्णय :–दिनांक 09.06.2017

वादी ने वादपत्र प्रस्तुत कर अंकित किया है कि सरहद तेली खेड़ा पटवार हलका पालड़ी तहसील एवं जिला भीलवाड़ा की मे वादी के खातेदारी हक अधिकार एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजी नंबर 514 रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा, आराजी नंबर 514/1 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा अन्य आराजी के साथ स्थित है जो की राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नात पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज है। वादी उक्त आराजियात पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला रहा है। वादी ने उक्त आराजियात व अन्य आराजी की पत्थर गढ़ी कराने हेतु एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखंड अधिकारी, भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें प्रकरण संख्या 115/2014 राजस्व प्रार्थनापत्र कायम हुए, जिसका निर्णय दिनांक 06 मई 2014 को हुआ, जिसकी जानकारी प्रतिवादी संख्या 01 जो की वादी की आराजी के पड़ोसी है के होने पर प्रतिवादी संख्या 01 ने 20 जून 2014 को वादी की आराजी नंबर 514/1 के पश्चिमी भूभाग में 12.5 गटे पूर्व दिशा में 13 गटे चौड़ाई व उत्तर व दक्षिण दिशा की तरफ 24 गटे लंबाई व चौड़ाई भूमि पर जबरन कब्जा कर उक्त रकबा को अपनी आराजियात में मिलाकर अपना कब्जा कर लिया जबकि उक्त आराजी संख्या 514/1 के किसी भी भाग पर प्रतिवादी संख्या 01 का कोई हक अधिकार नहीं है। उक्त आराजी संख्या 514/1 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा की पत्थरगढ़ी की गई व पटवारी व गिरदावर द्वारा दिनांक 30 जून 2014 को मौका पर्चा बनाया गंया, जिसमें वादी की उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 का पश्चिमी भू भाग में 12.5 गटे, पूर्व दिशा में 13 गटे चौड़ाई व उत्तर व दक्षिण दिशा की तरफ 24 गटे लंबाई व चौड़ाई भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया। वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 को कई बार उसके द्वारा किए कब्जे को छोड़ने हेतु कहा, तो प्रतिवादी संख्या 01 हर बार यह कह कर टालमटोल करता रहा कि मेरी भूमि की भी पत्थर गढ़ी करवांकर कब्जा छोड़ दूंगा, लेकिन न तो आज दिन तक पत्थरगढ़ी करवाई व न ही कब्जा छोड़ा वह अंतिम बार वादी ने दिनांक 17 जुलाई 2014 को उक्त आराजी नंबर 514/1 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा में से उसके द्वारा पश्चिमी भूभाग में 12.5, गटे पूर्व दिशा में 13 गटे चौड़ाई व उत्तर व दक्षिण दिशा की तरफ 24 गटे लंबाई व चौड़ाई भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को छोड़कर, उक्त भूमि का कब्जा वादी को सुपुर्द करने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 गुस्से में हो गया तथा वादी के साथ लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हो गया तथा प्रतिवादी संख्या 01 ने वादी को धमकी दी की वादी की मर्जी आए जो कर लेना, प्रतिवादी संख्या 01 उक्त आराजी से कब्जा नहीं छोड़ेंगे तथा वादी प्रतिवादी संख्या 01 का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है इसी कारण से वादी को यह वाद पत्र पेश करने की नौबत पेश आई है

वादी को प्रतिवादीगण संख्या 01 के विरुद्ध बिनाय वाद दिनांक 20 जून 2014 एवं 30 जून 2014 एवं 17 जुलाई 2014 से उत्पन्न होकर निरंतर रुप से जारी है। सरहद तेली खेड़ा पटवार हल्का पालड़ी तहसील एवं जिला भीलवाड़ा की आराजी नंबर 514/1 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा में से प्रतिवादी संख्या 01 का पश्चिमी भू भाग में 12.5 गटे, पूर्व दिशा में 13 गटे चौड़ाई व उत्तर व दक्षिण दिशा की तरफ से 24 गटे लंबाई व चौड़ाई भूमि पर किए गए कब्जे को हटाकर पुनःवादी को सुपुर्द कराने की कब्जेयाबी डिक्री वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 01

के विरुद्ध सादिर फरमाई जावे। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादी की आराजी पर कब्जा करने की दिनांक से पुनः वादी को कब्जा सुपुर्द होने की दिनांक तक का हर्जाना प्रतिमाह ₹3000/– रुपये के हिसाब से वादी प्रतिवादी संख्या 01 से दिलाया जावे। हर्जाना खर्चा मुकदमा मय मेहनताना वकील एवं अन्य जो भी अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी के पक्ष में दिलाना उचित समझे, प्रति वादी गण से दिलाया जावे।

वादी का वादपत्र दिनांक 19.11.2014 को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये । प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। पूर्व में प्रकरण राजस्व लोक अदालत केम्प पालड़ी पर दिनांक 09.06.2015 को प्रस्तुत हुआ वादी व प्रतिवादी संख्या 01 उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 01 की आराजियात का सिमाज्ञान करा कर प्रतिवादी की भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा पाये जाने से वादी को मौके पर ही कब्जा दिलाने का आदेश पारित किये गये। वाद ग्रस्त आराजियात के संबंध में सभांगीय आयुक्त अजमेर का स्थगन होने से दिनांक 02.06.2016 को कार्यवाही स्थगित की गई। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर के प्रकरण संख्या 23/2014 निर्णय दिनांक 15.09.2016 से अपील अपीलान्ट खारीज की जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 115/2014 निर्णय दिनांक 06.05.2014 को यथावत रखा गया।

प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से राशि 200 अक्षरे दौ सौ रुपये की कोष्ट पर दिनांक 10.04.2017 को जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने जवाब में उक्त आराजी के संबंध में राजस्व वाद संख्या 184/2011 प्यारा बनाम हेमा में निर्णय डिक्री दिनांक 20.11.2012 की अपील राजस्व मण्डल अजमेर में जेरकार होने से वादी के वादपत्र पर किसी प्रकार का निर्णय पारित नही करने की प्रार्थना की है। जबकी न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के प्रकरण में स्थगन आदेश जारी नही होना पाया जाता है। अतः राजस्व वाद में कार्यवाही किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने से प्रकरण राजस्व कोर्ट केम्प पालड़ी में दिनांक 09.06.2017 को रखा गया। जिसमें वादी अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा प्रतिवादी श्री हेंमा भी उपस्थित हुए प्रतिवादी संख्या 01 हेमा से वादग्रस्त आराजियात के संबंध में किसी न्यायालय का स्थगन प्रस्तुत करने बाबत निर्दश दिये गये । लेकिन हेमा ने किसी प्रकार का स्थगन आदेश प्रस्तुत नही किया प्रकरण में ग्राम तेलीखेड़ा के आराजी संख्या 514/1 रकबा 1 बीघा–05 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड में प्यारा पिता रतना उर्फ रतन लाल तेली साकिन देह के नाम पर दर्ज रिकार्ड जिसके प्रमाण में जमाबंदी की नकल खाता संख्या 101 संवत 2070 से 2073 की प्रस्तुत की है एवं राजस्व नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया है। उक्त आराजियात के पत्थरगाढ़ी प्रकरण संख्या 115/2014 निर्णय दिनांक 06.05.2014 से 30.06.2014 को तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा पत्थरगढ़ी की गई जिसमें आराजी नंबर 514/1 एक के पश्चिमी भू भाग में 12.5 गटे, पूर्व दिशा में 13 गटे चौड़ाई व उत्तर व दक्षिण की तरफ 24 गटे लंबाई व चौड़ाई भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जा पाया गया। उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 का अवैध कब्जा पाया जाने से वादी का वाद पत्र अंतर्गत धारा 183 आरटीए का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव

आदेश

वादी का वाद पत्र अंतर्गत धारा 183 आरटीए का स्वीकार किया जाकर डिक्री वहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 व 02 इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम तेली खेड़ा के आराजी नंबर 514/1 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 01 का पश्चिम भाग में 12.5 गटे पूर्व दिशा में 13 गटे चौड़ाई व उत्तर दक्षिण दिशा में 24 गटे लंबाई व चौड़ाई भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा किए गए कब्जे को हटाकर पुनः वादी को सुपुर्द करने के आदेश तहसीलदार भीलवाड़ा को दिये जाते है। तहसीलदार भीलवाड़ा उपरोक्त डिक्री अनुसार वादी को कब्जा सुपुर्द कर सुपुर्दनामा एक माह में प्रस्तुत करें खर्चा फरीकेन अपना–अपना बहन करें। डिक्री जारी की जाती है।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
आर ए एस
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

राजस्व केम्प कोर्ट पालड़ी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः—राजलक्ष्मी गहलोत (आरएएस)

उनवान

1.श्री प्यारा आत्मज रतना उर्फ रतन लाल तेली, निवासी—तेलीखेड़ा, तहसील व जिला—भीलवाड़ा।

बनाम

1.श्री हेमा आत्मज भूरा तेली, निवासी—तेलीखेड़ा, तहसील व जिला—भीलवाड़ा।

2.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

दावा बाबतः—वादपत्र अन्तर्गत धरा 183राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 95/2014

निर्णय दिनांक 9—6—2017

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 आरटीए का स्वीकार किया जाकरी डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 व 2 इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम तेलीखेड़ा की आराजी नं. 514/1 रकबा 1बीघा 05 बीघा भूमि से प्रतिवादी सं. 1 के पश्चिम भाग में 12.5 गटे, पूर्व दिशा मं 13 गटे चौड़ाई व उत्तर दक्षिणा दिशा में 24 गटे लम्बाई व चौड़ाई भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा किये गये कब्जे को हटाकर पुनः वादी को सिपुर्द करने के आदेश तहसीलदार भीलवाड़ा को दिये जाते है। तहसीलदार भीलवाड़ा उपरोक्त डिक्री अनुसार वादी को कब्जा सुपुर्द कर सुपुर्दनामा एक माह में प्रस्तुत करें।

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

आज दिनांक 9—6—2017 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा